

**राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग**

एफ.6(179)परि/कर/मु./95/10 सी

जयपुर, दिनांक :- 22.7.99

**अधिसूचना**

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एच क्यू/95/10 दिनांक 31 मार्च 1997 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में :-

1. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के नीचे विद्यमान स्पष्टीकरण (i) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा :-

“ (ii) कर की दर के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “सामान्य या” से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 3~2 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।

(iii) कर की दर के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “सामान्य यान से अन्यथा” से चैसिस पर एक ओर से दूसरी ओर 2~2 या 2~1 सीटों की बैठक व्यवस्था वाला कोई यान अभिप्रेत है।”।

**राज्यपाल के आदेश से,  
शासन उप सचिव**